JEEViKA
An Initiative of Government of Bihar for Poverty Alleviation
Bihar Rural Livelihoods Promotion Society
State Rural Livelihoods Mission, Bihar
बिहार सरकार
1st Floor, Vidyut Bhawan-II, Balliey Road, Patna – 800 021; Ph. : +91-612-250 4980; Fax : +91-612-250-4960; e-mail : info@brlp.in; Website : www.brlp.in

पत्रांक : BRLPS/Proj/726/14/4788 दिनांक : 15.03.2019

सामुदायिक उत्प्रेरक (**CM) मुल्यांकन से सम्बंधित कार्यालय आदेश**

जीविका 38 जिलों के 534 प्रखंड में 8 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों के साथ कार्य कर रही है। प्रत्येक समूह मूल रूप से सामुदायिक संस्थान है। अतः, यह बहुत महत्वपूर्णहै कि प्रत्येक समूह प्रशिक्षित संसाधन सेवी द्वारा पोषित हों। इस सम्बन्ध में परियोजना नेसमूहों के बैठक एवं लेखांकन हेतु संसाधन सेवी रखने का निर्देश दिया है जिसे सामुदायिक उत्प्रेरक के नाम से जाना जाता है। सामुदायिक उत्प्रेरक के कुछ मुख्य दायित्व निर्धारित किये गए है जैसे कि समूहों के लेखांकन पुस्तिका (BoR) का अद्यतन करना, समूह की बैठक आयोजित करना तथा उसके सदस्यों की उपस्थिति का ध्यान रखना, समय पर सदस्यों से समूह में, समूहों से ग्राम संगठन में, एवं समूह से बैंक में ऋण वापसी करवाना, समूह का मासिक प्रतिवेदन जमा करना, इत्यादि।

यह महत्वपूर्ण है किसामुदायिक उत्प्रेरक (CM) की उनके कार्य के मापदंडो के आधार पर मुल्यांकन की जाय, ताकि उनके क्षमता-वर्धन की जरुरत एवं इसकी योजना पर निर्णय किया जा सके। यह मुल्यांकन 6 माह या उससे ज्यादा कार्य-अनुभव वाले सामुदायिक उत्प्रेरक (CM) की होगी।

इस आधार पर परियोजना ने 8 मापदंडो को निर्धारित किया है, जिनके आधार पर हर सामुदायिक उत्प्रेरक (CM) का प्रत्येक 6 महीने पर मुल्यांकन किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को CLF/ नोडल VO (जहाँ CLF नहीं है) द्वारा देखरेख किया जाएगा। मुल्यांकन की प्रक्रिया का आधार निम्नलिखित है:

1. VO के BoD सदस्यों के साथ दिए गए फॉर्मेट पर एक दिन के कार्यशाला का आयोजन CLF/BPIU में सम्बंधित कर्मी द्वारा किया जाएगा।

2. CLF/BPIU द्वारा सामुदायिक उत्प्रेरक (CM) मुल्यांकन का प्रारूप अपने ग्राम संगठन को उपलब्ध कराएगा। ग्राम संगठन के सदस्यों एवं होनेवाले सदस्यों को सम्बंधित CLF द्वारा सहायता किया जाएगा। जहाँ CLF नहीं है वहाँ नोडल ग्राम संगठन द्वारा यह प्रक्रिया किया जाएगा।

3. CLF द्वारा सामुदायिक उत्प्रेरक (CM) का मुल्यांकन उनके कार्य-कुशलता के आधार पर कर्मी कि सहायता से किया जाएगा। यह प्रक्रिया एवं रिजल्ट CLF की बैठक पुस्तिका में दर्ज किया जाएगा। यह प्रक्रिया CLF के OB सदस्यों कि उपस्थिति में उपसमितियों द्वारा किया जाएगा।

4. मुल्यांकनप्रपत्र को Nodal VO/ CLF के BoD सदस्यों द्वारा जांचा जाएगा। सामुदायिक उत्प्रेरक (CM) कि मुल्यांकनसूची CLF/ Nodal VO में उत्पन्न किया जाएगा। यह प्रक्रिया बैठक में लिखी जाएगी। मुल्यांकनप्रपत्रके आधार पर सामुदायिक उत्प्रेरक (CM) को प्रशिक्षण हेतु निर्धारित किया जाएगा।

5. सामुदायिक उत्प्रेरक (CM) मुल्यांकन आवेदन को MIS में प्रविष्टि हेतु सम्बंधित CLF में भेजा जाएगा। मुल्यांकनप्रपत्र के स्कोर के आधार पर सामुदायिक उत्प्रेरक (CM) को 4 श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा, जैसे कि- A, B, C एवं D, जहाँ A ग्रेड उत्तम प्रदर्शन एवं D ग्रेड असंतोषजनक प्रदर्शन को दर्शाएगा। इस आधार पर BPIU द्वारा यह निर्णय लिया जाएगा कि सम्बंधित CM का क्षमतावर्धन या मार्गदर्शन किया जाए अथवा उसे भारमुक्त करने की प्रक्रिया अपनाई जाए।

Scanned by CamScanner

1. A ग्रेड सामुदायिक उत्प्रेरक (CM) (स्कोर 66-80) : उत्तम, संसाधन सेवी हेतु चयनित किया जा सकता है।
2. B ग्रेड सामुदायिक उत्प्रेरक (CM) (स्कोर 51-65) : अच्छा , पुनः प्रशिक्षण या सहयोग कि ज़रूरत।
3. C ग्रेड सामुदायिक उत्प्रेरक (CM) (स्कोर 36-50) : औसत, तत्काल प्रशिक्षण कि ज़रूरत।
4. D ग्रेड सामुदायिक उत्प्रेरक (CM) (स्कोर 0-35) : असंतोषजनक, तत्काल मार्गदर्शन/क्षमतावर्धन की जरुरत/ बदलाव।

यदि किसी सामुदायिक उत्प्रेरक (CM) को ग्रेड D मिला है तो उसे तुरंत प्रशिक्षण/मार्गदर्शन कि आवश्यकता है,जिसका आयोजन BPIU द्वारा किया जाएगा ताकि उसका तत्काल क्षमता वर्धन हो सके। ग्राम संगठन उसे क्षमतावर्धनहेतु नामांकित करेगा।

सामुदायिक उत्प्रेरक(CM) के कार्य क्षेत्र में यदि कोई बही-खाता के साथ हेर-फेर/ अनैतिक व्यवहार/ समूह के सदस्यों के साथ दुराचार/ वित्तीय अनियमितता, इत्यादि करता है तब उसके कुल प्राप्तांक से 10 अंक काट लिए जाएंगे।

इन सभी तथ्यों एवं कार्य को DPCU को भी सूचित किया जाएगा। सम्बंधित DPCU को इस बात का ध्यान रखना होगा कि यह प्रक्रिया 30 दिनों के भीतर संपन्न हो जाए।

DPM एवं BPM को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त सामुदायिक उत्प्रेरक (CM) के मुल्यांकन कि प्रक्रिया निर्धारित समय के अंतर्गत किया जाए।

संग्लग्नक

1. सामुदायिक उत्प्रेरक का मूल्यांकन प्रपत्र
2. मूल्यांकन प्रपत्र भरने हेतु सामान्य निर्देश
3. विवरणिका

14/03/19

(बालामुरुगन डी.)
(मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी एवं राज्य मिशन निदेशक)

प्रतिलिपि

1. सभी जिला परियोजना प्रबंधक/विषयगत प्रबंधक/प्रबंधक-क्षमता वर्धन/प्रशिक्षण अधिकारी/प्रखंड परियोजना प्रबंधक।
2. सभी परियोजना समन्वयक/राज्य परियोजना प्रबंधक/राज्य वित्त प्रबंधक/परियोजना प्रबंधक/सहायक वित्त प्रबंधक।
3. विशेष कार्य पदाधिकारी/निदेशक/मुख्य वित्त पदाधिकारी/प्रशासी पदाधिकारी।
4. सूचना एवं तकनीकि अनुभाग।
5. संबंधित संचिका।

Scanned by CamScanner

मूल्यांकन प्रपत्र (सामुदायिक उत्प्रेरक)

उत्प्रेरक का नाम :	जिला का नाम :
नियुक्ति तिथि :	प्रखंड का नाम :
आधार सं. :	संकुल संघ / संकुल का नाम :
लिंग (पुरुष/महिला) :	पंचायत का नाम :
पति / पिता का नाम :	गाँव का नाम :
शिक्षा :	ग्राम संगठन का नाम :
कुल समूहों की सं. :	सामुदायिक समन्वयक का नाम :
	MIS में प्रोफाइल ID सं. :

मापदंड (समूहों का प्रतिशत) - 76-100 % = 10 अंक ; 51-75 % = 08 अंक ; 50% या उससे कम = 05 अंक

क्रम सं.	सूचकांक (विगत छः माह पर आधारित)	मापदंड (समूहों की संख्या)	प्रतिशत	प्राप्तांक	टिप्पणी (अन्य कोई)
1	**कुल समूह में साप्ताहिक बैठक** *(आँकडे का स्रोतः मासिक प्रतिवेदन एवं समूह का BoR (कार्यवाही पुस्तिका) के आधार पर)*				
2	**कुल समूह में सदस्यों द्वारा दर्ज उपस्थिति (औसतन 80 % सदस्यों द्वारा साप्ताहिक बैठक में उपस्थिति के आधार पर;** *आँकडे का स्रोतः मासिक प्रतिवेदन एवं समूह की कार्यवाही पुस्तिका के आधार पर)*				
3	**कुल समूह सभी सदस्यों द्वारा साप्ताहिक बचत** *(आँकडे का स्रोतः मासिक प्रतिवेदन एवं समूह की कार्यवाही पुस्तिका के आधार पर)*				
4	**कुल समूह जिनमे सदस्यों द्वारा ऋण (मूलधन) की वापसी (वैसे समूह की संख्या जिनकी सदस्यों की ऋण वापसी कुल मांग के आधार पर 80% या अधिक है; आँकडे का स्रोतः समूह के ऋण पुस्तिका के आधार पर)**				
5	**कुल समूह द्वारा संबंधित ग्राम संगठन को ऋण (मूलधन) की वापसी (वैसे समूह की संख्या जिनकी ग्राम संगठन में ऋण वापसी कुल मांग के आधार पर 80% या अधिक है;** *आँकडे का स्रोतः ग्राम संगठन के ऋण/मांग पुस्तिका के आधार पर)*				
6	**कुल समूह जिनमे पुर्ण लेखांकन-पुस्तिका का अद्यतन**				निम्नलिखित विषय पर सम्बंधित सामुदायिक उत्प्रेरक क्षमता वर्धन हेतु जरूरतों का निर्धारण- कार्यवाही पुस्तिका (हां/नहीं): लेन-देन प्रपत्र (हां/नहीं): ऋण पुस्तिका (हां/नहीं): बचत पुस्तिका (हां/नहीं): सदस्यों का पासबुक (हां/नहीं):
7	**कुल समूह जिनमे समूह द्वारा सम्बंधित ग्राम संगठन में मासिक प्रतिवेदन की प्रस्तुति** *(आँकडे का स्रोतः ग्राम संगठन में समूह द्वारा समर्पित मासिक प्रतिवेदन के आधार पर)*				
8	**कुल समूह जिनमे 0 % NPA वाले समूह** (आँकडे का स्रोतः *बैंक द्वारा उपलब्ध कराया गया NPA सूचि के आधार पर)*				
			कुल प्राप्तांक		**श्रेणी :**

टिपण्णी (यदि कोई) : (बही-खाता के साथ हेर-फेर/समूह के सदस्यों से अनैतिक व्यवहार/समूह के सदस्यों के साथ दुराचार/ वित्तीय अनियमितता, इत्यादि) - (10 अंक की कटौती)

मूल्यांकन-कर्ता का विवरण :	**प्राप्तांक श्रेणी**	**श्रेणी**	**प्रतिक्रिया**
नाम :	66-80	A	अतिउत्तम; संसाधन सेवी के रूप में विचार कर सकते हैं।
पद :	51-65	B	अच्छा ; पुनः प्रशिक्षण कि ज़रूरत / मार्गदर्शन
मोबाइल नंबर:	36-50	C	औसत; क्षमता वर्धन की अत्यंत आवश्यकता
मूल्यांकन की तिथि :	35 या उससे कम	D	असंतोषजनक;तत्काल परामर्श की आवश्यकता/ क्षमता वर्धन की जरुरत / प्रतिस्थापन

हस्ताक्षर:

(सामुदायिक समन्वयक) **(संकुल संघ की अध्यक्ष)** **(प्रखंड परियोजना प्रबंधक)**

Scanned by CamScanner

सामुदायिक उत्प्रेरक का मूल्यांकन-प्रपत्र भरने हेतु सामान्य निर्देश

सामुदायिक उत्प्रेरक का मुल्यांकन उनके सम्बंधित ग्राम संगठन एवं संकुल संघ द्वारा विगत छः माह में किये गए कार्य आधारित होगी। उनके मुल्यांकन हेतु कुल **आठ सूचकांक** निर्धारित किये गए हैं। सभी सूचकांक के मापदंड प्रतिशत निर्धारण हेतु निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। सामुदायिक उत्प्रेरक के मुल्यांकन प्रपत्र को भरने का आधार समूहों के मासिक प्रतिवेदन ,कार्यवाही पुस्तिका, ऋण पुस्तिका, लेन देन प्रपत्र, एवं बैंक द्वारा प्राप्त NPA सूची होगा।

क. **सूचकांक संख्या 1: कुल समूहों में साप्ताहिक बैठक**

जैसे- किसी सामुदायिक उत्प्रेरक (सावित्री देवी) द्वारा 12 समूहों की साप्ताहिक बैठक कराने में मदद की जा रही है।

इनके 12 समूहों में पिछले 6 माह में कुल निर्धारित बैठकों की संख्या= 288

इनके द्वारा पिछले 6 माह में कुल आयोजित बैठकों की संख्या= 270

सावित्री देवी द्वारा देखे गए 12 समूहों के बैठक के आयोजन का प्रतिशत= (270/288) X 100 = 93.75%

ख. **सूचकाक संख्या 2- कुल समूह में सदस्यों द्वारा दर्ज उपस्थिति**

मान लिया जाये की सावित्री देवी के कुल 12 समूहों में सदस्यों की संख्या= 120

पिछले छह माह में यदि कुल 24 बैठक होने हैं, तो हर एक सदस्य के निर्धारित बैठकों की संख्या यानी 24 बार समूह की बैठक में आना होगा। अतः कुल सदस्यों की निर्धारित उपस्थिति= 24X120=2880

कुल समूहों में यदि सदस्यों की उपस्थिति का जोड़= 2200

उपस्थिति का प्रतिशत= (2200/2880) X 100= 76.38%

ग. **सूचकांक संख्या 3- कुल समूह में सभी सदस्यों द्वारा साप्ताहिक बचत**

राधा समूह में कूल 12 सदस्य है और प्रति सदस्य 10 रूपए साप्तहिक बचत करते है, एक समूह द्वारा प्रति सप्ताह 120 रूपए की बचत होगी। इस प्रकार पिछले छः महीनो मे सदस्यों द्वारा समूह की बचत राशि 120 X 24 = 2880 रूपए होगी। इसी प्रकार मान लिया जाए सावित्री देवी के 12 समूहों में पिछले 6 माह में कुल बचत (प्रत्येक समूह में निर्धारित बचत की संख्या का जोड़)= 35000 रूपए

मान लिया जाए कि राधा समूह के अंतर्गत सभी सदस्यों द्वारा पिछले छः माह में कुल 2600 रूपए की बचत हुई। इसी प्रकार सावित्री देवी के सभी 12 समूहों का निर्धारित बचत निकला जायेगा। मान लिया जाए कि सावित्री देवी के 12 समूहों का पिछले 6 माह में निर्धारित बचत का जोड़= 32000 रुपये

तब सावित्री देवी के कुल समूहों में साप्ताहिक बचत का प्रतिशत= (32000/35000)X100= 91.42%

घ. सूचकांक संख्या 4- कुल समूह जिनमे सदस्यों द्वारा ऋण (मूलधन) की वापसी (वैसे समूह की संख्या जिनकी वापसी कुल मांग के आधार पर 80% या अधिक है)

मूल्यांकन के समय प्रत्येक समूह का सदस्यों को दिए गये ऋण का मांग के आधार पर यदि 80% या अधिक मूलधन की वापसी हुई है, वैसे समूह की संख्या लिखें।

Scanned by CamScanner

ड़ सूचकांक संख्या -5 कुल समूह द्वारा संबंधित ग्राम संगठन को ऋण (मूलधन) की वापसी (वैसे समूह की संख्या जिनकी ग्राम संगठन में ऋण वापसी कुल मांग के आधार पर 80% या अधिक है)

मूल्यांकन के समय प्रत्येक समूह द्वारा ग्राम संगठन को दिए गये ऋण के मूलधन की वापसी मांग के आधार पर यदि 80% मूलधन की वापसी हुई है, वैसे समूह की संख्या लिखें

च सूचकांक संख्या 6- कुल समूहों के अंतर्गत सभी लेखांकन पुस्तिका के अद्यतन

सावित्री देवी द्वारा देखे जा रहे 12 समूहों में यदि 9 समूहों का पिछले छः माह का सभी लेखांकन पुस्तिका लिखी गई है तो,

सावित्री देवी द्वारा देखे जा रहे समूहों में लेंखांकन-पुस्तिका के अद्यतन का प्रतिशत = (कुल समूह जिनका पिछले छः माह से सभी लेखांकन पुस्तिका लिखी गई हो / सावित्री देवी द्वारा देखे जा रहे कुल समूह) X 100

छ सूचकांक संख्या 7- कुल समूहों द्वारा सम्बंधित ग्राम संगठन में मासिक प्रतिवेदन की प्रस्तुति

चुकिं सामुदायिक उत्प्रेरक द्वारा सारे समूहों को 3 माह के अन्दर एक बार मासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है, यह मान लिया जाए की सावित्री देवी 4 समूह का प्रतिवेदन प्रतिमाह देती हैं। अतः सावित्री देवी द्वारा देखे जा रहे 12 समूह के पिछले छः माह में संभावित मासिक प्रतिवेदन की संख्या 24 होनी चाहिए। माना कि पिछले छः माह मे 12 समूहों द्वारा कुल 20 प्रतिवेदन ग्राम संगठन मे प्रस्तुत किए गए , इस प्रकार पिछले छः माह मे मासिक प्रतिवेदन की प्रस्तुति का प्रतिशत (20/24)x100= 83.33 प्रतिशत होगा।

प्रतिशत = (सभी समूहों का कुल छः माह में मासिक प्रतिवेदन के प्रस्तुति का संख्या / कुल निर्धारित मासिक प्रतिवेदन की संख्या)x100

ज. सूचकांक संख्या 8- पिछले छः माह के दौरान NPA की सूची मे नहीं आने वाले समूहों का प्रतिशत

सावित्री देवी द्वारा देखे जा रहे कुल 12 समूहों में से 10 समूह ऐसे है जो पिछले छः माह में बैंक द्वारा प्राप्त NPA सूची मे नहीं है ,इस प्रकार

पिछले छः माह के दौरान NPA की सूची मे नहीं आने वाले समूहों का प्रतिशत = (कुल समूह जो पिछले छः माह मे NPA सूची मे नहीं आए हो/कुल समूहों की संख्या) X100

Scanned by CamScanner

सामुदायिक उत्प्रेरक मूल्यांकन प्रपत्र विवरणी

क्र. सं.	समूह का नाम	सदस्यों की संख्या	निर्धारित बैठक	वास्तविक बैठक	निर्धारित उपस्थित सदस्यों की संख्या	वास्तविकउपस्थित सदस्यों की संख्या	समूह का निर्धारित बचत	पिछले छह माह में समूह का निर्धारित बचत	पिछले छह माह में समूह का निर्धारित बचत	छह माह में समूह का वास्तविक बचत	प्राप्त ICF	प्राप्त RF	बैंक ऋण	सदस्यों को ऋण	सदस्यों द्वारा ऋण वापसी		समूह से ग्राम संगठन में वापसी	समूह से बैंक में ऋण वापसी		मासिक प्रतिवेदन	NPA समूहों की संख्या
															मांग	प्राप्ति		मांग	प्राप्ति		
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
11																					
12																					
13																					
14																					
15																					
16																					
17																					

Scanned by CamScanner